न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवरलाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 98 / 2012 / (2012 / 00041 जिला–अजमेर

1. लतीफ पुत्र जरदार खां
2. शमशेर पुत्र बाबू शाह
   जाति मुसलमान निवासी ग्राम गुढ़ा तहसील व जिला अजमेर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. बोदू शाह पुत्र गुलाब शाह जाति मुसलमान (फकीर) निवासी ग्राम लीरी का बाड़िया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
2. उमरदीन दत्तक पुत्र चांद शाह जाति मुसलमान (फकीर) निवासी ग्राम फकीराखेड़ा सोमलपुर तहसील व जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 30–08–2011
अपील संख्या 100 / 2011

————

उपस्थित– 1. श्री मोहम्मद इकबाल ,अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश भटट अभिभाषक, प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांकः–13–06–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम लीरी का बाड़िया स्थित आराजी खाता संख्या 24 / 297 कुल किता 13 कुल रकबा 2.15 हैक्टर भूमि चांदशाह एवं बोदू शाहा पिसरान गुलाब शाह की संयुक्त खातेदारी की आराजियात है। चांदशाह की मृत्यु के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपने आपको चांद शाह का दत्तक पुत्र बताते हुए नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 20–5–2011 को अपने नाम दर्ज करवा लिया जो कि विधिविरूद्ध है। उपखण्ड अधिकारी ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 को जरिये नोटिस तलब किया तो उसके द्वारा न्यायालय में नामान्तरकरण को निरस्त करने की स्वीकृति देते हुए अपील स्वीकार करने का

निवेदन किया गया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30–8–2011 में विवादित नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 20–5–2011 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 30–8–2011 के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–8–2011 की जानकारी अपीलार्थीगण को सर्वप्रथम दिनांक 9–4–2012 को हुई जब न्यायालय के निर्णय की प्रति लेकर अप्रार्थी संख्या 1 पटवारी के पास आया और नामान्तरकरण निरस्त होनेकी जानकारी दी तथा न्यायालय के निर्णय अनुसार अमल दरामद करने हेतु कहा। चूंकि पटवारी के पास सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण की प्रति होने से उन्होंने अपीलार्थीगण को सुनवाई हेतु बुलाया जिस पर अपीलार्थीगण को सर्वप्रथम उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जिसके पश्चात दिनांक 10–4–2012 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 11–4–2012 को नकल प्राप्त हुई तत्पश्चात अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील तैयार कर प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 2 के मध्य विवादित आराजियात को लेकर विवाद चल रहा है जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 को भी थी और उपरोक्त आराजियात के बाबत अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में किये गये इकरारनामें की जानकारी भी अप्रार्थी संख्या 1 को होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष अपील में पक्षकार मुर्तिब किये बिना ही अपील प्रस्तुत कर दी जिससे प्रार्थीगणके हित सीधे ही प्रभावित हो रहे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के निर्णय दिनांक 30–8–2011 के विरूद्ध माननीय न्यायलय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

अभिभाषक अपीलार्थीगण की धारा–96 की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–2011 की जानकारी थी। अपीलार्थीगण का धारा–96 का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्षों की धारा–96 जा0दी0 पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलार्थी का धारा–96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 20–5–2011 को दर्ज करवाने के पश्चात उपरोक्त इन्द्राज का अमलदरामद अधिकार अभिलेख में हो गया जिसके पश्चात एक इकरारनामा बाबत अपीलाधीन आराजियात प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपीलार्थीगण के पक्ष में निष्पादित किया गया और विवादित आराजियात में अपने आधे हिस्से को बिलएवज 1,70,000/– रूपये प्रति बीघा की दर से अपलार्थीगण को बेचान कर दिया जिसके पश्चात अपीलार्थीगण विवादित आराजियात पर काबिज हो गये परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 2 के मन में बेईमान आने से उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 20–5–2011 को निरस्त करने बाबत अपील प्रस्तुत होने पर प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 की अपील को स्वीकार करने की सहमति न्यायालय में प्रदान कर दी एवं अपना नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज नामान्तरकरण को निरस्त करने का निवेदन कर दिया जिससे यह सिद्ध है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने जानबूझकर अपीलार्थीगण को उनके अधिकारों से महरूम करने के लिए उक्त कृत्य किया है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थीगण के पक्ष में उपरोक्त इकरारनामे को निष्पादित करने के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा इकरारनामें की शर्तो की पालना नहीं करते हुए रजिस्ट्री करवाने से मना करने के पश्चात अपीलार्थीगण द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर दिया गया जिसकी जानकारी प्रत्यर्थी संख्या–2 को थी जिसके बाद ही प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 की अपील को स्वीकार करने की सहमति प्रदान कर दी गई जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि जहां पर पक्षकारान के मध्य नियमित राजस्व वाद में अधिकार तय होने है वहां समरी कार्यवाहियों को स्थगित रखना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आने के बावजूद जानबूझाकर विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है। वर्तमान में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 20–5–2011 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें नामान्तरकरण जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामें के आधार पर खोला गया था जिससे जब तक वसीयतनामा सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लिया जाता है तब तक उपरोक्त नामान्तरकरण निरस्त नहीं हो सकता था परन्तु इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान न देकर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा करवाये गये विधिविरूद्ध कार्य के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–2011 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ग्राम लीरी का बाड़िया पटवार हलका श्रीनगर भू–अ0निरीक्षक श्रीनगर तहसील नसीराबाद की जमाबन्दी सम्वत 2055–78 में खेवट खतौनी संख्या नई 24 पुरानी 297 में चांदस्याह, बोदू स्याह पि0 गुलाब श्याह ब0हि0 ब0 कोम फकीर सा0 गुढ़ा खातेदार के नाम से दर्ज था जो विरासतन चांद स्याह पि0 गुलाब श्याह 20–5–2011 के स्थान पर उमरदीन दत्तकपुत्र चांदस्याह नि0 किशनपुरा फकीर खेड़ा सोमलपुर रोड़ अजमर के नाम अंकन स्वीकार हुआ। विवादित आराजियात अपीलार्थीगण व चांदश्याह पिसरान गुलाबश्याह के नाम दर्ज थी। चांदस्याह की मृत्यु के पश्चात उसकी विरासत पंजीबद्ध गोदनामे के आधार पर उमरदीन के नाम दर्ज कर दी गई। किन्तु मुस्लिम विधि में दत्तक ग्रहण के विधिक प्रावधान उपलब्ध नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 57 के विरूद्ध बोदूशाह ने अपील की। प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–2011 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उमरदीन ने विवादित आराजियात नाम दर्ज होने के बाद बेचान कर दी। बेचनेके बाद अधिकार खत्म हो गये। अपीलार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 उमरदीन की सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 57 निरस्त कर दिया जो विधिविरूद्ध है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम लीरी का बाड़िया स्थित आराजी खाता संख्या 24/297 कुल किता 13 कुल रकबा 2.15 हैक्टर भूमि चांदशाह एवं बोदू शाह पिसरान गुलाब शाह की संयुक्त खातेदारी की आराजियात है। चांदशाह की मृत्यु के प्श्चात प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपने आपको चांद शाह का दत्तक पुत्र बताते हुए नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 20–5–2011 को अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि उमरदीन दत्तक पुत्र स्व0 श्री चांद खां उर्फ चांद शाह जाति मुसलमान निवासी किशनपुरा गांव सोमलपुर तहसील व जिला अजमेर द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 16–4–2011 को विवादित आराजियात खाता नम्बर नया 24 पुराना 297 जिसका कुल किता 13 रकबा 2.15 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा अपीलार्थीगण को 1,70,000/– अक्षरे एक लाख सत्तर हजार में विक्रय कर दी। जब उमरदीन दत्तक पुत्र स्व0 चांदस्याह नि0 किशनपुरा द्वारा विवादित आराजियात अपीलार्थीगण को बेचान कर दी तो विवादित आराजियात में उसका कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। उक्त इकरारनामा दिनांक 16–4–2011 उपपंजीयक अजमेर कार्यालय से पंजीकृत भी करवाया हुआ है। जब विवादित आराजियात को अपीलार्थीगण को जरिये इकरारनामा बेचान कर दी थी तो अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थीगण को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाए बिना एवं उन्हें सुनवाई व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया केवल प्रत्यर्थी संख्या 2 उमरदीन पुत्र बोदूश्याह के अपील स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होने के कथन के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 57 दिनांक 20–5–2011 निरस्त कर दिया जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने विवादित आराजियात अपीलार्थीगण को बेचान की जा चुकी थी तथा दोनों पक्षकारान के मध्य सिविल न्यायालय में नियमित वाद लम्बित है जिसे नजरअन्दार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनाक 30–8–2011 त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–8–2011 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों को समुचित सुनवाई कर एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 13–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर